

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री बाबू लाल, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 266/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/402

अनवान

1-4 परमेश्वर, भगवती लाल, रघुनन्दन, शंकरलाल पिता दुर्गालाल सुनार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मथुराधीश जी चमना बावडी जरिये पुजारी नगजीराम पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी शाहपुरा
- 2- दीपराज पिता भरत सोनी निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
- 3- लोकेश पिता ओमप्रकाश सोनी निवासी काटा भाटा मंदिर के पास शाहपुरा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढी करने बाबत)

तारीख रजू : 05-07-2024

उपस्थित :-

1. श्री रामप्रसाद जाट : अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 एकपक्षीय

::- निर्णय -::

दिनांक : 19-05-2025

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 10095/6155 रकबा 0.42 है0, 10096/6156 रकबा 0.22 है0, 6157 रकबा 0.03 है0, 6158 रकबा 1.21 है0, 6179 रकबा 0.67 है0, 6180 रकबा 0.18 है0, 6181 रकबा 0.22 है0, 6183 रकबा 0.34 है0, 6348 रकबा 0.02 है0, 6349 रकबा 0.32 है0, 9674/6182 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 रकबा 3.78 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 15.05.2024 को अपनी आराजियात को हांकने गये तो विपक्षीगण ने सीमा को लेकर विवाद किया।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 10095/6155 रकबा 0.42 है0, 10096/6156 रकबा 0.22 है0, 6157 रकबा 0.03 है0, 6158 रकबा 1.21 है0, 6179 रकबा 0.67 है0, 6180 रकबा 0.18 है0, 6181 रकबा 0.22 है0, 6183 रकबा 0.34 है0, 6348 रकबा 0.02 है0, 6349 रकबा 0.32 है0, 9674/6182 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 रकबा 3.78 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 10095/6155 रकबा 0.42 है0, 10096/6156 रकबा 0.22 है0, 6157 रकबा 0.03 है0, 6158 रकबा 1.21 है0, 6179 रकबा 0.67

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा(राज.)

है0, 6180 रकबा 0.18 है0, 6181 रकबा 0.22 है0, 6183 रकबा 0.34 है0, 6348 रकबा 0.02 है0, 6349 रकबा 0.32 है0, 9674/6182 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 रकबा 3.78 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित हैं, जो पत्रावली

में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 स 2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 10095/6155 रकबा 0.42 है0, 10096/6156 रकबा 0.22 है0, 6157 रकबा 0.03 है0, 6158 रकबा 1.21 है0, 6179 रकबा 0.67 है0, 6180 रकबा 0.18 है0, 6181 रकबा 0.22 है0, 6183 रकबा 0.34 है0, 6348 रकबा 0.02 है0, 6349 रकबा 0.32 है0, 9674/6182 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 रकबा 3.78 है0 के अभिलिखित खातेदार हैं, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगद्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है।

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद- संबंधी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे।

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं संबंधी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा में विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हो। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से संबंधित निर्विवाद मामलों में तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 10095/6155 रकबा 0.42 है0, 10096/6156 रकबा 0.22 है0, 6157 रकबा 0.03 है0, 6158 रकबा 1.21 है0, 6179 रकबा 0.67 है0, 6180 रकबा 0.18 है0, 6181 रकबा 0.22 है0, 6183 रकबा 0.34 है0, 6348 रकबा 0.02 है0, 6349 रकबा 0.32 है0, 9674/6182 रकबा 0.15 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगद्दी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौरान कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19-05-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में पत्रावली पर पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजायें।

५

(बाबू लाल)

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

५

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा